

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-297/2024 दिनांक 22.10.2024)

***दिनांक-22.10.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया
सराहनीय कार्य-***

अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मय 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन (कुल कीमत लगभग 02 लाख रूपये) के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/ परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना को0 पडरौना पुलिस टीम द्वारा कोतवाली पडरौना क्षेत्र से अवैध शराब में संलिप्त 03 अभियुक्तगण 1. विजय अग्रवाल उर्फ मिठू अग्रवाल पुत्र किशुन लाल अग्रवाल साकिन राजा बाजार खड्डा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, 2. लाल बाबू महतो पुत्र रामायण महतो निवासी ग्राम बखरी मदरसा थाना शिकारपुर जिला बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार 3. राजन यादव पुत्र सरल यादव निवासी ग्राम बिजबानिया थाना सिरसिया जनपद बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 8 पीएम (480 पीस पाउच जिसकी धारिता 180 ml) व 01 अदद मोटरसाइकिल वाहन बजाज पल्सर 125 सीसी वाहन सं0 UP57AV7177 की बरामदगी की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 715/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का विवरण-

अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह है जिसका संचालक विजय अग्रवाल उर्फ मिठू अग्रवाल है इसके कई लाइसेन्सी शराब की दुकाने हैं बिहार में शराब बन्दी होने के कारण उन्ही दुकानो से शराब को निकाल कर वह अपने आवास विकास कालोनी वाले घर पर जमा करता है तथा अपने साथियों के सहायता से शराब को ले जाकर बिहार मे उच्च दामो पर बेचकर अधिक धन अर्जित करता है। अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ मिठू अग्रवाल के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर कई मुकदमें पंजीकृत हैं-

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 715/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

(1) विजय अग्रवाल उर्फ मिठू अग्रवाल पुत्र किशुन लाल अग्रवाल साकिन राजा बाजार खड्डा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

(2) लाल बाबू महतो पुत्र रामायण महतो निवासी ग्राम बखरी मदरसा थाना शिकारपुर जिला बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार

(3) राजन यादव पुत्र सरल यादव निवासी ग्राम बिजबानिया थाना सिरसिया जनपद बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार

बरामदगी का विवरण (कुल कीमत लगभग 02 लाख रूपये)-

1- 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब 8 PM कुल 480 शीशी जिसकी धारिता 180 ml (कुल 86.4 लीटर)

2- एक अदद मोटर साइकिल बजाज पल्सर 125 सीसी वाहन सं0 UP57AV7177

अभियुक्त विजय अग्रवाल उर्फ मिठू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 54/2020 धारा 447/504/506 भा.द.वि. थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

2. मु0अ0सं0 311/2016 धारा 147/323/427/452/504/506 भा.द.वि. थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

3. मु0अ0सं0 23/2018 धारा 419/420/467/468/471 भा.द.वि. थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

4. मु0अ0सं0 120/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 272/419/420 भा.द.वि. थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर

5. मु0अ0सं0 715/2024 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर (इसी मुकदमे मे गिरफ्तार)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

2. उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय चौकी प्रभारी सिधुआ बाजार थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

3. उ0नि0 विवेक कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी मिश्रौली थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

4. उ0नि0 आकाश कुमार सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

5. हे0का0 अजीत राय थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

6. हे0का0 अखिलेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

7. का0 रविप्रकाश सिंह थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

8. का0 हरिराम यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

9. का0 मनोज यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

10. का0 उमेश यादव थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे

अभियान के क्रम में पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 1.गुरूदीप चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधारी निवासी सरयाखुर्द गद्दी टोला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर 2. परवेज आलम पुत्र वजीर आलम निवासी सरयाखुर्द थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर 3. प्रदीप भारती पुत्र रमेश भारती निवासी पगरा बसन्तपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर 4.रंजीत कुमार पुत्र हरिनाथ ग्राम जौरा मनराखन थाना चौराखास जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना तमकुहीराज द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु को उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपया अर्जित कर अपना जीवन यापन करने का एक सुंगठित गैंग है। गैंग के सदस्य दिनांक-09.07.2024 को एक अदद महिन्द्रा मैक्सी मैजिक वाहन सं0 UP57BT6828 पर 02 राशि गोवंशीय पशु लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 221/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम 1.गुरूदीप चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधारी निवासी सरया खुर्द गद्दी टोला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर 2. परवेज आलम पुत्र वजीर आलम निवासी सरयाखुर्द थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर पंजीकृत है तथा दिनांक 20.08.2023 को एक अदद वाहन महेन्द्रा सुप्रो लोडर सं0 UP57AT9594 पर 03 अदद गोवंशीय पशु लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया तथा बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 282/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गो0नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 बनाम 1.गुरूदीप चौधरी पुत्र राजेन्द्र चौधारी निवासी सरया खुर्द गद्दी टोला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर 2. प्रदीप भारती पुत्र रमेश भारती निवासी पगरा बसन्तपुर थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर 3.रंजीत कुमार पुत्र हरिनाथ ग्राम जौरा मनराखन थाना चौराखास जनपद कुशीनगर पंजीकृत किया गया हैं। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है, जिनके विरुद्ध आज थाना हाजा पर मु0अ0स0 316/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी।

थाना सेवरही पुलिस द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर नगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0नं0 212/15 धारा 461, 379 भादवि व 25 इण्डियन टेलीग्राम एक्ट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित वारण्टी मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र बाबूनन्दन पाण्डेय साकिन बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 212/15 धारा 461, 379 भादवि व 25 इण्डियन टेलीग्राम एक्ट थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मनोज कुमार पाण्डेय पुत्र बाबूनन्दन पाण्डेय साकिन बसहिया बनवीरपुर थाना को0 पड़रौना जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश राय थानाध्यक्ष सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री विद्याभास्कर शुक्ल थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का0 रामनिवास यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 सुनील सिंह थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद मोटर साइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 317/2024 धारा 2(30)/317(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की 01 अदद मो0सा0 के साथ अभियुक्त रहमत राईन पुत्र इस्लाम राईन निवासी वार्ड न0 4 गाँधीनगर गुदरी मोहल्ला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 317/2024 धारा 2(30)/317(2) बीएनएस थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-रहमत राईन पुत्र इस्लाम राईन निवासी वार्ड न0 4 गाँधीनगर गुदरी मोहल्ला थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

01 अदद हिरो स्पलेण्डर प्लस मो0सा0 (बिना नम्बर)

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-प्र0नि0 श्री अमित शर्मा थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 2-उ0नि0 संदीप सिंह थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 3-उ0नि0 मृत्युंजय सिंह थाना तमकुहीराज कुशीनगर
- 4-हे0का0 इम्तियाज खान थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 5-हे0का0 उमेश राजभर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मुकदमें में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.10.2024 को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 343/2024 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1-मोगल पुत्र मोतीलाल निवासी बेदूपार मुस्तकील थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 343/2024 धारा 69 बीएनएस थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोगल पुत्र मोतीलाल निवासी बेदूपार मुस्तकील थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राजप्रकाश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 मेराज अहमद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

3-का0 रिषु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

4-का0 राहुल यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 33नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-37, व्यक्ति-113

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)

4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-39)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर